संख्या 3432 पत्रावली सं०-1 F-14625 दिनांक 07/12/2001

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 785 ~~19~~ 2001 – 2002 ~~19~~

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि [illegible]

[illegible] । पता-ग्राम-[illegible]

[illegible] जलालपुर जिला अम्बेडकर नगर

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 05/12/2006 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 06 दिसम्बर अर्थात् सौ [illegible] को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

[illegible]

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 02188/2021-2022 दिनांक 08/12/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/AMB/12431/2021-2022 पत्रावली संख्या:F-14625 दिनांक:2001-2002

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीमती अनारा देवी बालिका विद्यालय समिति, ग्राम-ऊँचेपुर, पोस्ट-नरवापीताम्बरपुर, तहसील-आलापुर, जिला-अम्बेडकरनगर, उ0प्र0।, अम्बेडकर नगर, 224147** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 785/2001-02 दिनांक-06/12/2001 को दिनांक-06/12/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66
Date: 08/12/2021 4:58:03 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-08/12/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

रजिस्टर्ड

प्रपत्र–2

हाईस्कूल परीक्षा

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्रीमती अनारा देवी बालिका उ0मा0वि0 उँधेपुर,
अम्बेडकरनगर

पत्रांक: मा0शि0प0/मान्यता/वाराणसी/ 2617 /दिनांक 21-01-2010

विषय: सीधे/हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था **श्रीमती अनारा देवी बा उ0मा0विद्यालय उँधेपुर अम्बेडकरनगर** को बालक/बालिका विद्यालय के रुप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष **2011** से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:–

सामान्य प्रतिबन्ध

1— प्रबन्धतंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

2— इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय। अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3— साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

4— इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने श्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

5— विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबंधतंत्र द्वारा अपने श्रोतों से की जाय।

6— नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

क— संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

ख—

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति छः माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव

पृष्ठांकन संख्याःमा0शि0प0/मान्यता/ /दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–जिला विद्यालय निरीक्षक **अम्बेडकरनगर**
2–सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक **फैजाबाद**
3–हाईस्कूल परीक्षा संस्थागत अनुभाग **वाराणसी**
4–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 12 मा0शि0प0––30–07–09––50,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रीमती अनारा देवी बालिका इ0का0
ऊंचेपुर अम्बेडकरनगर।

पत्रांक – आई0वी0/मान्यता/212 दिनांक–03-06 2015

विषय :– **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध**

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की ***वर्ष– 2017*** की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखि वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्य इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इ पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शि के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भव पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्याल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्याल निरीक्षक एवं परिषद् को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डा द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी प व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केव इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनयम, 1987 धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय न होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यत निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रू0 5000/- (रू0 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/200 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लीयरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी वर्ग नवीन	साहि0 हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, नागरिकशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र एवं कला

टिप्पणी :– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(कामता राम पाल)
अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पृष्ठांकन सं0– आई0वी0/मान्यता/ दिनांक– 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वाराणसी को अभिलेख हेतु।

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी